कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) गुजरात, अहमदाबाद शाखा

"लेखा परीक्षा भवन", नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009

Office of the Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch

"Audit Bhavan", Navrangpura, Ahmedabad - 380009

परिपत्र संख्या: WM-I/**15 दिनांक: 06-01-2026**

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 (1) के (ii) में निहित प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार समूह 'A' एवं 'B' पद धारण करने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस विवरण में एक वार्षिक रिटर्न में वह अचल संपत्ति सम्मिलित होगी जो उसे विरासत में प्राप्त हुई हो अथवा उसके स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अर्जित की गई हो, चाहे वह संपत्ति उसके अपने नाम पर हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर रखी गई हो।

प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि **वर्ष 2025 (31.12.2025 तक)** के लिए अचल संपत्ति का विवरण संलग्न प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अचल संपत्ति विवरण में "पिछले वर्ष के समान" अथवा "कोई परिवर्तन नहीं" जैसे वाक्यांश स्वीकार्य नहीं होंगे और ऐसे विवरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31.01.2026 को या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि तक विवरण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Digitally signed by
Gopal Lal Meena
Date: 06-01-2026
14:26:33

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक)

प्रति,

प्रभागीय लेखाकार संवर्ग,

गुजरात

__________ वर्ष के लिए दिनांक __________ कि स्थिति

प्रथम नियुक्ति होने तक प्राप्त अचल संपत्ति का विवरण।

अधिकारी का पूरा नाम:-

वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व अधिकारी जिस सेवा/विभाग से संबंधित हो, उसका नाम:-

अचल संपत्ति जहां स्थित हो, उस जिला, उपविभाग, तालुका एवं गाँव का नाम	अचल संपत्ति का विवरण		वर्तमान मूल्य/कीमत (अ)	संपत्ति यदि उनके अपने नाम न होकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, तो उस व्यक्ति के नाम एवं अधिकारी का उससे क्या संबंध है यह दर्शाए	संपत्ति खरीद की गई है, पैतृक संपत्ति है बंधक, पट्टे पर ली गई है या किसी अन्य प्रकार से ली है, इसकी जानकारी और जिस व्यक्ति से (ब) प्राप्त की गई हो उसका नाम आदि की जानकारी।	संपत्ति से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय	अभ्युक्ति टिप्पणी
	मकान	जमीन					
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक : ____________________ हस्ताक्षर ____________________

लागू नहीं होते हों को निकाल दे:-

(v) यदि संपत्ति की यथार्थ कीमत निर्धारित नहीं की जा सके, तो वर्तमान समय में उसकी लगभग कीमत जो हो, उसे दर्शाएँ ।

(ब) इसमे कम समय के लिए पट्टे पर ली गई संपत्ति भी शामिल है।

केंद्रीय सिविल से (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) अनुसार, वर्ग । एवं ।। के सभी सदस्यों के लिए,प्रथम सेवा नियुक्ति एवं उसके बाद प्रत्येक 12 महानों के अंतराल पर यह घोषणापत्र, अपनी मालिकी की /अर्जित/पैतृक/पट्टे पर ली गई/बंधक (गिरवी) संपति, जो उसके अपने नाम पर, उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, उसकी पूरी जानकारी के साथ पस्तुत करना आवश्यक है।